

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
-----------------------	--

13/2/24
23/2/24

पञ्जावली पेरा ड्रॉ चकलाए अनु- TDR Report
सुप्राट | पुनः लिखा जावे। पञ्जावली वास्ते इन्तजाए
मौका रिपोर्ट दि. 23/2/24 को पेरा हो।

पञ्जावली पेरा ड्रॉ शिवाग्रत कर्ता ग्रामवासी -
पारखुल अनुपासित | शिवाग्रत कर्ता को 23
दिनांक 12/8/2013 को शिवाग्रत प्रस्तुत कर
अचि सोया फेक्ट्री द्वारा कृमिकल पुस्त
गन्दा पानी के निष्कास एवं फलान से विभारी
की आशका के मध्यनजर इन्हें कृमिकल पुस्त
पानी को रोककर अन्यत्र निकासी का -
निवेदन किया। शिवाग्रत को अन्तर्गत धारा
133 C.R.P.C में दर्ज कर Notice जारी कर
प्रबन्धन कर्मी सोया से प्लाब तलब किया
गया। दिल्ली तहत प्रबन्धन कर्मी सोया फेक्ट्री
के अपना उत्पुल्लर प्रस्तुत कर निवेदन किया
कि राधस्यानू स्टेट Pollution Control Board
द्वारा फेक्ट्री को अनुशासन पत्र जारी किया हुआ
है कन्ट्रोल बोर्ड के निर्देशानुसार ही फेक्ट्री
का संचालन किया जा रहा है औद्योगिक व
शासकीय नियमों की पाबनी करने हुए प्रदूषण
रहित वातावरण के साथ फेक्ट्री का संचालन
किया जा रहा है प्रकरण में तहसीलदार तालेड़ा से
रिपोर्ट मौका ली गई दिल्ली अउत्सर्ग नगरपालिका
के अपनी रिपोर्ट दिनांक 23/2/24 से अवगत कराया
कि अचि सोया फेक्ट्री विगत 1 वर्ष से बन्द है
व मौके पर किसी प्रकार का अपशिष्ट फैला
हुआ नहीं है किसी प्रकार का प्रदूषण होने की
सुधि नहीं होती है।

अतः रिपोर्ट मौका, प्लाब प्रबन्धन कर्मी
सोया फेक्ट्री एवं पञ्जावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

का अवलोकन करने से यह उचित होता है कि
वर्तमान में फेन्डी का सम्बन्ध नहीं है कि
क्षेत्र में प्रदूषण की सम्भावना नगण्य है। साथ ही
उक्त सम्बन्ध में ज्ञानवासी पारवमूल्य से किसी
उगाह की प्रदूषण के सम्बन्ध में नवीन शिवायत
एवं इलाके में वेदा नहीं किसे गये। अतः प्राचीन-
का प्रार्थी की शिवायत का वर्तमान में कोई-
औचित्य नहीं रह जाँ है प्रार्थना-का अनुन्वय
द्वारा 133 CRPC विरक्त किया जाता है। पक्षी
केसल शुभ्य होय नम्बर से कम हो। बदतामीत
सम्बन्धित विपदाकृत्य दाखिल इफ्तल हो। हमें